न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अतहर आमिर उल शफि खान आई.ए.एस.

ण संख्या 03/2019

उनवान

महेश पिता श्री गुलाबराय खेतानी निवासी भीलवाडा तहसील एंव जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

बनाम

मांगू पिता श्री बेणा अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
नारायण पिता श्री देवा अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
मांगू पिता श्री दल्ला अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
उदयराम पिता कालू अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 27.06.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम तहत इस कार्यालय में दिनांक 16.01.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है ग्राम तख्तपुरा पटवार ख्तपुरा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी 2 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 956 रकबा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 951 रकबा 11 बिस्वा, कुल रकबा 1 बिघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.01.2019 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 05 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध ा ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते दारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन कार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है तख्तपुरा पटवार हल्का तख्तपुरा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके कृषि भूमि आराजी नम्बर 952 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 956 रकबा 01 बिस्वा, आराजी 51 रकबा 11 बिस्वा, कुल किता 3 रकबा 1 बिघा 08 बिस्वा भूमि कि पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड नयम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार ो प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 27.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल कर दाखिल दफ्तर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Scanned by CamScanner